संख्या– 593 VI/2004–3(6)/2004

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 06 दिसम्बर, 2004

विषयः– जिला योजना 2004–2005 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–233/2–6–215/04–05 दिनांक 31–08–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना 2004–05 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु रू0 179.96 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रूपये 144.46 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 में संलग्नक के कॉलम पॉच के विवरणानुसार रू0 103.98 लाख (रूपये एक करोड़ तीन लाख अट्ठानवे हजार मात्र) की धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की भी स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11–जिला योजना में प्रत्येक वर्ष नई योजनायें प्राप्त होती रहती है। किन्तु पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के कियान्वयन गति धीमी है अतः आगामी वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों एवं उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद का यह दायित्व होगा कि वे पहले लंम्बित योजनाओं के लिये धनराशि/परिव्यय सुनिश्चित करेगे उसके उपरांत ही अवशेष परिव्यय में नई योजनाये सम्मिलित करेगें।

12–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी।

13–स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय/योजनाओं की धनराशि के अनुरूप ही व्यय किया जायेगा एवं स्वीकृत कार्य को एक वर्ष के भीतर प्रत्येक दशा में पूर्ण कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति से सम्बन्धित जिलाधिकारी शासन को उल्लिखित समय सीमा के भीतर अवगत करायेगें।

14–कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

15–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

16–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

17–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

18–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

19–जिन कार्यो हेतु द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है, उनमें व अन्य योजनाओं में भी प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

20–निर्माण कार्यो/योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत इनके संचालन की विधिवत व्यवस्था/एग्रीमेन्ट करने के उपरांत ही संबंधित नामित संस्था के संचालन हेतु दी जाये।

21–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना 07–पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें 42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

22–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1753/वित्त अनु0–3/2004, दिनांक 19 नवम्बर,2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– VI/2004–3(6)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/चमोली/ऊधमसिंह नगर/पौड़ी गढ़वाल।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून/चमोली/ऊधमसिंह नगर/पौड़ी गढ़वाल।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

2/12/04

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।

संख्या– 593 VI/2004–3(6)/2004 दिनांक नवम्बर, 2004 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम0सं0	योजना का नाम	मूल आगणन	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की लागत	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
	जनपद–देहरादून			
1	कालसी में अशोक शिलालेख तक पहुच मार्ग का निर्माण	3.04	2.54	2.54
2	दिल्ली यमनोत्री मार्ग पर सदैन पुल के समीप रैन बसेरा का निर्माण	7.59	6.29	6.29
3	इन्द्रौली में काली मंदिर का सौन्दर्यीकरण	4.07	3.00	3.00
4	त्यूनी में राही मंदिर का सौन्दर्यीकरण	5.05	3.88	3.88
5	थैना में महासू देवता मंदिर का सौन्दर्यीकरण	6.04	4.78	4.78
6	चकराता में शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	6.04	4.75	4.75
7	रायवाला में होशयारी माता मंदिर का सौन्दर्यीकरण	5.10	3.88	3.88
8	छिदरवाला में श्री दर्शनी देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	6.08	4.93	4.93
9	भदराज मंदिर का सौन्दर्यीकरण	10.06	7.63	7.63
10	देहरादून शहर में सुलभ शौचालय का निर्माण	30.47	23.60	23.60
	योग–	83.54	65.28	65.28
	जनपद–चमोली			
1	ध्यान बद्री मंदिर, उर्गम का सौन्दर्यीकरण	3.00	2.43	2.43
2	नागदेवता मंदिर तोन्दला का सौन्दर्यीकरण	3.00	2.48	2.48
3	जागेश्वर मंदिर टंगसा का सौन्दर्यीकरण	3.00	2.48	2.48
4	मॉ नंदा देवी मंदिर नीति का सौन्दर्यीकरण	4.24	3.97	3.97
5	मॉ भगवती दुर्गा मंदिर बडागांव का सौन्दर्यीकरण	4.08	3.21	3.21
6	रामेश्वर महादेव मंदिर रामणी का सौन्दर्यीकरण	2.00	1.63	1.63
	योग–	19.32	16.20	16.20
	जनपद–ऊधमसिंह नगर			
1	कल्याणी नदी पर सौन्दर्यीकरण का कार्य	21.37	19.16	10.00
2	हरिपुरा जलाशय के निकट स्टोर रूम का निर्माण	5.00	5.00	5.00
3	चेती मेला परिसर काशीपुर में यात्री शेड का निर्माण	4.20	3.50	3.50
	योग	30.57	27.66	18.50
	जनपद–पौड़ी गढ़वाल			

1	बाल कुमारी मंदिर कटुडवडा, देवीखाल का सौन्दर्यीकरण	9.00	7.28	1.00
2	यमकेश्वर मंदिर का सौन्दर्यीकरण	14.00	10.28	1.00
3	उफल्डा श्रीनगर में नागराजा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	12.80	9.90	1.00
4	पडूसौली (नैनीडांडा) कालिंका मंदिर का सौन्दर्यीकरण	10.73	7.86	1.00
	योग–	46.53	35.32	4.00
	कुल योग–	179.96	144.46	103.98

(रू0 एक करोड़ तीन लाख अठनावे हजार मात्र)

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।